10.3.21 — पत्रावली वास्ते बहस पर पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी ने पर O 1 R 13 CPC सपठित धारा 151 CPC पेश कर निवेदन किया है कि प्रकरण में कुछ पक्षकारों का वर्षों पूर्व निधन हो चुका है। इसके बावजूद भी मृतक खातेदार को पक्षकार बनाया गया है। इसके साथ ही विवादित भूमि के कुछ सह-खातेदारों को रेकोर्ड खातेदार होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाया है। विवादित जमीन की साक्षी अद्यतन नकल के साथ यह प्रार्थना-पत्र पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र पक्षकारान के असंयोजन व कुसंयोजन के दोष से ग्रसित होने से खारिज किया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि उसके द्वारा पटवारी हल्का से प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करके प्रार्थना-पत्र पेश किया है। चूंकि कुछ खातेदार बाहर रहते हैं, जिसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं है। अगर कुछ खातेदार फौत हैं तो उसकी जानकारी न्यायालय को देने का दायित्व अप्रार्थी का भी है। अतः अप्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता [illegible] पत्र 251 A के साथ विवादित [illegible] नकल जमाबन्दी पटवारी हल्का [illegible] पेश की है। अगर पटवारी हल्का के उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2021.07.31 14:57:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जंज
	प्रमाणित प्रतिलिपि आदि : अदुटी दिया की है तो इससे प्रार्थी को उसके अधि से वंचित नहीं किया जा सकता है। जहां तक प्रश्न आवे : अधूरे पक्षकार संयो एवं मृतक खातेदार को पक्षकार बनाये का है तो इस प्रकरण में उक्त कार्य करने से अनावश्यक विलम्ब व पेचीद होगी। अतः प्रार्थी के अधिकारों को सुर में रखते हुए अधिवक्ता अप्रार्थी का प्र पत्र O1 R13 CPC आंशिक स्वीकार कर प्रार्थी का प्रा०पत्र 251 A इस प्रकार से खारिज किया जाता है कि प्रार्थी अगर चाहे तो पुनः सभी समस्त प्रभावित खातेदारों को पक्षकार बनाते हुए पुनः प्रा०पत्र प्रस्तुत कर सकता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल अनुसार होकर नम्बर से कम की जावे। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी डेगाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2021.07.31 14:57:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner